[2019] 1 उम. नि. प. 254

श्रीराम (मैसर्स) ईपीसी लिमिटेड

बनाम

रियोग्लास सोलर एसए

13 सितम्बर, 2018

न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) – धारा 47, 48 और 49 [सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 और अनुसूची-1, मद 12] – विदेशी पंचाटों का प्रवर्तन – स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण – चूंकि स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 के मद 12 में "पंचाट" अभिव्यक्ति में विदेशी पंचाट सम्मिलित नहीं है, इसलिए, भारत में उनको प्रवर्तित करने के लिए स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण करना आवश्यक नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि लंदन में तारीख 12 फरवरी, 2015 को एक आईसीसी पंचाट दिया गया था । अपीलार्थी द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप फाइल किए गए जो खारिज कर दिए गए । इसी बीच प्रत्यर्थी ने उक्त पंचाट को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम की धारा 47 के अधीन याचिका फाइल की । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा सभी आक्षेप नामंजूर कर दिए गए । खंडपीठ के समक्ष फाइल की गई अपील कायम रखने योग्य न होने के कारण नामंजूर कर दी गई । विशेष इजाजत लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय के समक्ष केवल यह एक आधार लिया गया कि पंचाट पर स्टाम्प शुल्क नहीं दिया गया था, इसलिए, इसे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का अवधारण करके अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 की मद 12 में "पंचाट" आज की तारीख तक अपरिवर्तित रहा है । वर्ष 1899 में यह "पंचाट" मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा केवल ऐसे निर्देश में, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश द्वारा न किया गया हो, लिखित में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट करता था । यह केवल ऐसे पंचाट को लागू

होता था जो ब्रिटिश भारत के समय में किया गया था और 1955 के अधिनियम सं. 43 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 1(2) के संशोधन के पश्चात् आज के समय यह जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में दिए गए पंचाटों पर लागू होता है । ऐसी वस्तुस्थिति में, न्यायालय का यह मत है कि प्रारंभ से लेकर आज तक "पंचाट" अभिव्यक्ति में कभी भी विदेशी पंचाट सम्मिलित नहीं रहा है । परिणामतः, विदेशी पंचाट भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची में सम्मिलित किए जाने योग्य न होने के कारण स्टाम्प शुल्क के लिए दायी नहीं है । यदि भारत में विदेशी पंचाटों पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किए जाते हैं तो यह अधिरोपण उस स्टाम्प शुल्क की अपेक्षा सारभूत रूप से अधिक दूभर नहीं होना चाहिए जो कि देशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता या प्रवर्तन पर अधिरोपित किया जाता है । उक्त अनुच्छेद को लागू करने के लिए, पहले तो विदेशी पंचाट पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करना होगा और जैसा कि इस न्यायालय ने इस निर्णय में पहले ही अभिनिर्धारित किया है, मामला यह नहीं है । समान रूप से, जहां तक देशी पंचाटों पर स्टाम्प शुल्क का संबंध है, भारत के विधि आयोग की 194वीं रिपोर्ट का जो अवलंब लिया गया है, उसका हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कम ही सरोकार है कि विधि की वर्तमान स्थिति के अधीन विदेशी पंचाट भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी नहीं है । (पैरा 16 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 3 एस. सी. सी. 49 :
एसोसिएट बिल्डर्स बनाम
दिल्ली विकास प्राधिकरण ; 24

[2013] (2013) 2 एम. पी. एल. जे. 252 :
नारायण ट्रेडिंग कं. बनाम **एबकॉम ट्रेडिंग प्रा. लि.** ; 4

[2012] (2012) 9 एस. सी. सी. 552 :
भारत एल्यूमिनियम कं. बनाम
केसर एल्यूमिनियम टेक्नीकल सर्विसेज इनकार्पोरेशन ; 3

[2009] (2009) 163 डी. एल. टी. 391 :
नवल जेट मेरीटाइम लि.
बनाम **शिवनाथ राय हरनारायण(1) लि.** ; 4

[2003] (2003) 8 एस. सी. सी. 565 :
एम. अनसुया देवी और एक अन्य बनाम
एम. माणिक रेड्डी और अन्य ; 19

[2001] (2001) 6 एस. सी. सी. 356 :
फ्यूरस्ट डे लॉसन लि. बनाम **जिंदल एक्सपोर्ट लि.** ; 19,21

[1999] (1999) 9 एस. सी. सी. 334 :
थायसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच. बनाम
स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. ; 19

[1994] (1994) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 644 :
रेणुसागर पावर कंपनी लि. बनाम
जनरल इलेक्ट्रिक कं. ; 24

[1986] ए. आई. आर. 1986 गुजरात 62 :
ओरियंट मिडल ईस्ट लाइन्स लि. बनाम
ब्रास ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ मोनरोविया और अन्य ; 4

[1962] [1962] 3 एस. सी. आर. 146 :
सीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर और अन्य बनाम
लक्ष्मीनारायण चोपड़ा और एक अन्य ; 17

[1962] ए. आई. आर. 1962 पंजाब-हरियाणा 167 :
गुजराल्स कं. बनाम **एम. ए. मोरीस** । 4

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 9515.

2015 की मूल याचिका सं. 587 में मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 9 फरवरी, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री के. वी. विश्वनाथन्, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) पूजा सैगल, रवि रघुनाथ, (सुश्री) वृंदा भंडारी, स्नेहाशीष मुखर्जी, वेंकटरमन आर. और धनंजय रे भास्कर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री शशांक गर्ग, (सुश्री) अमृता ग्रोवर, दिव्याकांत लाहोटी, तारिक खान, परीक्षित आहुजा और देबज्योति

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रोहिंग्टन फली नरीमन ने दिया ।

न्या. नरीमन – इजाजत दी गई ।

2. वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय के तारीख 9 फरवरी, 2017 के उस निर्णय से उद्भूत हुई है, जिसमें एक विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए फाइल की गई याचिका मंजूर की गई थी । विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष कई आधार लिए गए थे । हमारा सरोकार केवल एक आधार से है जिस पर हमारे समक्ष बहस की गई है, अर्थात् क्योंकि पंचाट स्टांपित नहीं किया गया था, इसलिए इसे माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें आगे "1996 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 48 और 49 के अधीन प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है ।

3. संक्षिप्त तथ्य, जो वर्तमान संविवाद का अवधारण करने के लिए आवश्यक हैं, निम्नलिखित हैं ।

3.1 लंदन में श्री क्रिस्टोफर स्टाइल क्यूसी द्वारा तारीख 12 फरवरी, 2015 को एक आईसीसी पंचाट निम्नलिखित निबंधनों में दिया गया था :–

> "363. सभी तथ्यात्मक और विधिक दलीलों पर, जो मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, विचार करने के पश्चात् और ऊपर पूर्ण रूप से उपवर्णित कारणों से, मैं निम्न प्रकार से पंचाट देता हूं, घोषणा करता हूं और अधिनिर्णय करता हूं –
>
> (1) मैं घोषणा करता हूं कि मुझे द्वितीय और तृतीय प्रत्यर्थियों पर कोई अधिकारिता नहीं है ।
>
> (2) मैं घोषणा करता हूं कि रियोग्लास करार के खंड सं. 6, संशोधन सं. 1 द्वारा यथा संशोधित, में उपबंधित अनुसार संपादन बैंक प्रत्याभूति (परफॉरमेंस बैंक गारंटी) जारी करने के लिए आबद्ध नहीं है ।
>
> (3) मैं घोषणा करता हूं कि रियोग्लास परिदान चार के संबंध में उन दर्पणों को स्क्रैप के रूप में बेचने का हकदार है जो इसके भंडारण में रखे हैं ।
>
> (4) मैं घोषणा करता हूं कि श्रीराम ने ऊपर उपवर्णित प्रकार से करार का भंग किया है ।
>
> (5) मैं आदेश करता हूं कि श्रीराम, रियोग्लास को

€4,366,598.70 का संदाय करे, जिसमें €4,151,570.52 की नुकसानी और €2,15,028.18 ब्याज सम्मिलित है ।"

3.2 अपीलार्थी द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन तारीख 21 जुलाई, 2015 को आक्षेप फाइल किए गए, जो **भारत एल्यूमिनियम कं.** बनाम **केसर एल्यूमिनियम टेक्नीकल सर्विसेज इनकार्पोरेशन**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को उद्धृत करके यह उल्लेख करते हुए खारिज कर दिए गए कि विदेशी पंचाट के विरुद्ध धारा 34 के अधीन याचिका कायम रखने योग्य नहीं होगी । इसी बीच, प्रत्यर्थी ने तारीख 5 अगस्त, 2015 को उक्त पंचाट को प्रवर्तित करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 47 के अधीन एक याचिका फाइल की । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2017 को उक्त पंचाट के सभी आक्षेपों को नामंजूर कर दिया गया । खंडपीठ को अपील की गई, जिसके परिणामस्वरूप तारीख 14 मार्च, 2018 को यह मत व्यक्त करते हुए आदेश पारित किया गया कि 1996 के अधिनियम की धारा 50 को ध्यान में रखते हुए उक्त अपील कायम रखने योग्य नहीं है । यही कारण है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय के विरुद्ध यह विशेष इजाजत याचिका फाइल की गई है ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री के. वी. विश्वनाथन् ने हमारे समक्ष यह दलील दी कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में दिए गए उपबंधों से यह स्पष्ट है कि विदेशी पंचाट उक्त अधिनियम के अंतर्गत आएगा । ऐसा होने और स्टाम्प शुल्क संदत्त न करने के कारण उक्त विदेशी पंचाट को प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है । उन्होंने **गुजरात्स कं.** बनाम **एम. ए. मोरीस**[2] वाले मामले में पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय का जोरदार रूप से अवलंब लिया । उनके अनुसार, **नवल जेट मेरीटाइम लि.** बनाम **शिवनाथ राय हरनारायण(1) लि.**[3] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और **नारायण ट्रेडिंग कं.** बनाम **एबकॉम ट्रेडिंग प्रा. लि.**[4] वाले मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय गलत है । विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता के

---

[1] (2012) 9 एस. सी. सी. 552.

[2] ए. आई. आर. 1962 पंजाब-हरियाणा 167.

[3] (2009) 163 डी. एल. टी. 391.

[4] (2013) 2 एम. पी. एल. जे. 252.

अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय वास्तव में विदेशी पंचाट के रजिस्ट्रीकरण पर दिया गया निर्णय है, भले ही इसमें तात्पर्यित रूप से संदेय स्टाम्प शुल्क के बारे में उल्लेख हो । दूसरी ओर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय सही नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि विदेशी पंचाट भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 के अधीन "पंचाट" शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा । उन्होंने **ओरियंट मिडल ईस्ट लाइन्स लि.** बनाम **ब्रास ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ऑफ मोनरोविया और अन्य**[1] वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें यह कहा गया है कि न्यूयार्क कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 से यह स्पष्ट होता है कि स्टाम्प शुल्क, किसी विदेशी पंचाट की मान्यता और प्रवर्तन के लिए फीस या प्रभारों की प्रकृति का होने के कारण उस राज्यक्षेत्र की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार लागू किया जा सकता है जिसमें पंचाट को प्रवर्तित कराया जाना ईप्सित है । ऐसा होने के कारण, न्यूयार्क कन्वेंशन में ही इस बात को मान्यता दी गई है कि विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन के लिए उस देश में स्टाम्प शुल्क वहन करना होगा जिस देश में उन्हें प्रवर्तित किया जाना ईप्सित है । विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता ने विधि आयोग की 194वीं रिपोर्ट का भी अवलंब लिया जिसमें आयोग ने, जहां तक 1996 के अधिनियम के भाग 2 में स्टाम्प शुल्क का संबंध है, परिवर्तित करने का सुझाव दिया था ।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इसमें ऊपर निर्दिष्ट दिल्ली उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का जोरदार रूप से अवलंब लिया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 में आने वाली अभिव्यक्ति "पंचाट" केवल देशी पंचाट पर लागू होती है, किसी विदेशी पंचाट पर नहीं । उन्होंने इस तथ्य का अवलंब लिया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम वर्ष 1899 में अधिनियमित किया गया था, जिसमें "पंचाट" को कदापि इतना विस्तृत नहीं किया गया था कि माध्यस्थम् (प्रोटोकाल और अभिसमय) अधिनियम, 1937 और/या विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 को अधिनियमित करने के पश्चात् इसमें विदेशी पंचाटों को सम्मिलित किया जा सके । साथ ही, विद्वान् काउंसेल के अनुसार, किसी विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए जो एकमात्र अपेक्षा है, वह अधिनियम की धारा 47 में अधिकथित है और उसमें पंचाट को स्टाम्पित किया जाना अपेक्षित नहीं है । प्रतिकूल प्रभाव के बिना एक

---

[1] ए. आई. आर. 1986 गुजरात 62.

तर्क यह भी दिया गया कि धारा 48(2)(ख) के अधीन, भले ही किसी विदेशी पंचाट को स्टाम्पित किया जाना अपेक्षित हो, किंतु स्टाम्पित नहीं किया जाता है, तब भी ऐसे पंचाट का प्रवर्तन भारतीय विधि की मूलभूत नीति के प्रतिकूल नहीं होगा ।

6. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात्, सर्वप्रथम भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के सुसंगत उपबंधों को उपवर्णित करना महत्वपूर्ण है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 1, जैसी कि यह मूल रूप से थी, निम्न प्रकार से है :–

> "1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 है ।
>
> (2) इसका विस्तार ऊपरी बर्मा, ब्रिटिश बलुचिस्तान, संथाल परगनों तथा स्फीति परगना सहित संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर है ; और
>
> (3) यह 1899 के जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।"

धारा 2(14) में "लिखत" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

> "2. परिभाषाएं –
>
> * * * * * *
>
> (14) 'लिखत' के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है ।"

"शुल्क से प्रभार्य लिखतें" धारा 3 में उपबंधित है । धारा 3 निम्नलिखित है :–

> "3. शुल्क से प्रभार्य लिखतें – इस अधिनियम के उपबंधों और अनुसूची 1 अन्तर्विष्ट छूटों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित लिखतें ऐसी रकम के शुल्क से प्रभार्य होंगी जो उस अनुसूची में क्रमशः उनके लिए उचित शुल्क के रूप में उपदर्शित की गई है, अर्थात् –
>
> (क) उस अनुसूची में वर्णित हर लिखत जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि 1899 की जुलाई के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् भारत में निष्पादित की गई ;

(ख) ऐसा हर विनिमय पत्र जो मांग से अन्यथा देय है या वचन पत्र जो उस दिन को या उसके पश्चात् भारत के बाहर लिखा या बनाया गया है और भारत में प्रतिगृहीत या संदत्त किया गया है अथवा प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थित किया गया है अथवा पृष्ठांकित, अंतरित या अन्य प्रकार से प्रक्रामित किया है ; और

(ग) विनिमय पत्र या वचन पत्र से भिन्न ऐसी हर लिखत, जो उस अनुसूची में वर्णित है, और जो किसी व्यक्ति द्वारा पहले ही निष्पादित नहीं की गई है बल्कि उस दिन की या उसके पश्चात् भारत के बाहर निष्पादित की गई है और किसी ऐसी सम्पत्ति से जो भारत में स्थित है या किसी को ऐसी बात या चीज से जो भारत में की गई है या की जाने वाली है संबंधित है और भारत में प्राप्त की गई है :

परंतु कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत प्रभार्य न होगा –

(1) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उन दशाओं में जिनमें, इस छूट के अभाव में, सरकार ऐसी लिखत की बाबत प्रभार्य शुल्क देने के लिए दायी होती ;

(2) कोई लिखत जो पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1894 या 1838 का अधिनियम सं. 19 या इंडियन रजिस्ट्रेशन आफ शिप्स ऐक्ट, 1841 (1841 का 10) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित अंश या संपत्ति के, चाहे आत्यंतिकतः या बंधक द्वारा या अन्यथा विक्रय, अंतरण या अन्य व्ययन के लिए है ।

(3) विकासकर्ता या इकाई द्वारा या उसकी ओर से उसके पक्ष में या विशेष आर्थिक जोन के प्रयोजनों को पूरा करने के संबंध में निष्पादित कोई लिखत ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विकासकर्ता', 'विशेष आर्थिक जोन' और 'इकाई' अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (छ), (यक) और (यग) में दिया गया है ।"

धारा 33 और 35 के अधीन, लिखतें जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हैं, वे साक्ष्य में अग्राह्य हैं और कोई ऐसी लिखत जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, अधिनियम की धारा 33 में उपबंधित अनुसार परिबद्ध किए जाने के लिए दायी है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 की मद सं. 12 निम्न प्रकार से है :–

लिखतों का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क

"12. पंचाट, अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय, जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है –

(क) जहां कि उस संपत्ति की, जिससे पंचाट संबंधित है, रकम या मूल्य, जो ऐसे पंचाट में उपवर्जित हो, 1,000/- रुपए से अधिक नहीं है ;	वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (सं. 15) पर लगता है ।
(ख) किसी अन्य मामले में	पांच रुपए

छूट

मुम्बई डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल ऐक्ट, 1873 (1873 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 81 या मुम्बई टेरिडिटेरी आफिसेज ऐक्ट, 1874 (मुम्बई अधिनियम 1874 का 3) की धारा 18 के अधीन पंचाट ।"

7. इस अपील में विवाद का मुख्य विषय यह है कि क्या "पंचाट" अभिव्यक्ति के अंतर्गत विदेशी पंचाट आता है या नहीं ।

8. इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के वर्ष में माध्यस्थम् से संबंधित विधि की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण है । इस सुसंगत समय पर, माध्यस्थम् से संबंधित दो प्रकार की विधियां थीं । प्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 में अंतर्विष्ट थी । भाग 5 में अध्याय-37 में माध्यस्थम् के लिए निर्देश के बारे में उपबंध है । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 की धारा 506 से 522 के अधीन, किसी वाद के पक्षकार माध्यस्थम् के लिए निर्देश का आदेश करने के लिए आवेदन कर

सकेंगे और उस मामले में यथास्थिति, माध्यस्थम् या अधिनिर्णायक पंचाट दे सकेगा जिसे अंततोगत्वा एक निर्णय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकेगा और निर्णय पंचाट के अनुसार होना चाहिए तथा उसके पश्चात् डिक्री पारित की जाएगी । धारा 523 से 526 द्वारा, विवादों को माध्यस्थम् का निर्दिष्ट करने वाले करारों और उन पर दिए गए पंचाटों को न्यायालय में फाइल किया जा सकेगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 ब्रिटिश भारत पर लागू थी ।

9. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के ठीक पश्चात् भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1899 आया । इस अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार, इस अधिनियम का विस्तार भी संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर था, किंतु धारा 2 में यह स्पष्ट किया गया था कि यह अधिनियम केवल उन मामलों में लागू होगा जहां माध्यस्थम् को प्रस्तुत की गई विषयवस्तु, यदि वह वाद का विषय रही होती, किसी प्रेसिडेंसी नगर में संस्थित की जा सकती थी । इस अधिनियम की धारा 2 निम्नलिखित है :–

> "2. लागू होना – यह अधिनियम, धारा 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केवल उन मामलों में लागू होगा जहां, यदि माध्यस्थम् को प्रस्तुत की गई विषयवस्तु किसी वाद का विषय होती, तो वाद इजाजत लेकर या अन्यथा किसी प्रेसिडेंसी नगर में संस्थित किया जा सकता था :
>
> परंतु, स्थानीय सरकार, सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में इस प्रकार लागू करने की घोषणा कर सकेगी, मानो वह क्षेत्र एक प्रेसिडेंसी नगर हो ।"

उक्त अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रकार से है :–

> "4. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो –
>
> (क) 'न्यायालय' से प्रेसिडेंसी नगरों में उच्च न्यायालय तथा कहीं और जिला न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है ; और
>
> (ख) 'निवेदन' से वर्तमान या भावी मतभेदों को माध्यस्थम् के लिए निवेदित करने का लिखित करार अभिप्रेत है, चाहे इसके मध्यस्थ नामित किया गया है या नहीं ।"

इसके पश्चात् धारा 11 में यह उपबंधित है :–

"11. पंचाट का हस्ताक्षरित और फाइल किया जाना – (1) जब मध्यस्थों या अधिनिर्णायक ने अपना पंचाट दे दिया है, तो वे उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और पक्षकारों को इसके बनने और हस्ताक्षर करने तथा माध्यस्थम् और पंचाट की बाबत मध्यस्थों या अधिनिर्णायक को संदेय फीस और प्रभारों की रकम की सूचना दी जाएगी ।

(2) मध्यस्थ या अधिनिर्णायक निवेदन करने वाले किसी पक्षकार या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर और माध्यस्थम् और पंचाट की बाबत फीसों और प्रभारों तथा पंचाट फाइल करने के खर्चे और प्रभारों का संदाय करने के उपरांत पंचाट या इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति न्यायालय में फाइल किए जाने के लिए दी जाएगी और मध्यस्थों या अधिनिर्णायक द्वारा पक्षकारों को फाइल किए जाने की सूचना दी जाएगी ।

(3) जहां मध्यस्थ या अधिनिर्णायक धारा 10, खंड (ख) के अधीन किसी विशेष मामले का उल्लेख करते हैं तो न्यायालय उस पर अपनी राय देगा, और उस राय को पंचाट में जोड़ा जाएगा तथा पंचाट का भाग होगी ।"

धारा 15, जो महत्वपूर्ण है, में निम्नलिखित उपबंधित है :–

"15. फाइल किए गए पंचाट का डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय होना – (1) निवेदन करने पर दिया गया पंचाट पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार न्यायालय में फाइल किए जाने पर (जब तक कि न्यायालय इसे पुनर्विचार करने के लिए मध्यस्थनों का अधिनिर्णायक को विप्रेषित या इसे अपास्त नहीं करता है) इस प्रकार प्रवर्तनीय होगा मानो यह न्यायालय की डिक्री है ।

(2) पंचाट सशर्त या अनुकल्पतः हो सकेगा ।"

10. इन अधिनियमों के पूर्वोक्त उपबंधों का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल वह "पंचाट" जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट है, ऐसा पंचाट है जो ब्रिटिश भारत के राज्यक्षेत्र में किया गया हो परंतु ऐसा पंचाट किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए निर्देश के अनुसरण में नहीं किया गया है । इस सुसंगत समय पर, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत में प्रभुतासंपन्न शासकों द्वारा शासित कई राजवंशी राज्य थे जिनकी अपनी-अपनी स्वयं की

विधियां थीं । पूर्वोक्त राजवंशी राज्यों की माध्यस्थम् विधियों, यदि कोई थी, के परिणामस्वरूप दिए गए पंचाट न तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 और न ही माध्यस्थम् अधिनियम, 1899 के अधीन "पंचाट" होते थे । वे, जहां तक ब्रिटिश भारत का संबंध है, विदेशी पंचाट होते थे । किसी राजवंशी राज्य में, या किसी विदेश में दिया गया पंचाट यदि वाद के माध्यम से ब्रिटिश भारत में प्रवर्तित कराया जाता था, तो वह भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 की मद 12 में अंतर्विष्ट "पंचाट" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता था । इसके अंतर्गत केवल वे पंचाट आते थे जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किए गए किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा ब्रिटिश भारत में किए गए विनिश्चय हैं ।

11. यह स्थिति तब भी जारी रही जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में द्वितीय अनुसूची अंतर्विष्ट थी जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1882 में अंतर्विष्ट माध्यस्थम् उपबंधों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था । पुनः यहां भी, द्वितीय अनुसूची के अधीन, वाद के पक्षकार माध्यस्थम् के लिए निर्देश करने का आदेश करने के लिए आवेदन कर सकेंगे और इसके पश्चात् पंचाट दिया जाएगा । द्वितीय अनुसूची की धारा 16 महत्वपूर्ण है और निम्नलिखित उपबंधित था :–

> "16. निर्णय का पंचाट के अनुसार होना – (1) जहां कि न्यायालय पंचाट को विप्रेषित न करने या माध्यस्थम् के लिए निर्देशित विषयों में से किसी को पूर्वोक्त रीति में पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने का कोई कारण न पाए और पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन न किया गया हो, या न्यायालय ने ऐसे आवेदन को नामंजूर कर दिया हो, वहां न्यायालय ऐसा आवेदन करने के समय का अवसान होने के पश्चात् पंचाट के अनुसार निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर होगा ।
>
> (2) इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के उपरांत एक डिक्री पारित की जाएगी, और ऐसी डिक्री कोई अपील इस आधार पर होने के सिवाय नहीं होगी कि वह पंचाट से अधिक है या उसके अनुसार नहीं है ।"

धारा 20 और 21 के अधीन, जहां मामले न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए गए हैं वह ऐसे मामलों में दिए गए पंचाटों को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में सम्मिलित किया जाएगा और उसके

पश्चात् डिक्री पारित की जाएगी और वह डिक्री फिर प्रवर्तनीय हो जाएगी ।

12. कालानुक्रम अनुसार, इस पंक्ति में अगला अधिनियम माध्यस्थम् (प्रोटोकाल और अभिसमय) अधिनियम, 1937 है, जिसमें 1923 के जिनेवा अभिसयम (कन्वेंशन) द्वारा शासित कतिपय विदेशी पंचाटों को मान्यता दिया जाना और हस्ताक्षरी देशों में, जिनमें भारत एक है, प्रवर्तित करना है । इस अधिनियम में "विदेशी पंचाट" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

> "2. निर्वचन – इस अधिनियम में 'विदेशी पंचाट' से ऐसा पंचाट अभिप्रेत है जो उन विषयों से संबंधित मतभेदों पर, जिन्हें भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाणिज्यिक समझा जाता है, 1924 की जुलाई के अट्ठाईसवें दिन के पश्चात् –
>
> (क) ऐसे माध्यस्थम् करार के अनुसरण में दिया गया जिसे प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्रोटोकाल लागू होता है, तथा
>
> (ख) ऐसे व्यक्तियों के बीच दिया गया है जिनमें से एक ऐसी शक्तियों में से किसी एक की अधिकारिता के अधीन है जिनकी बाबत केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध कर दिए गए हैं, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित करे कि वे उस अभिसमय के पक्षकार हैं जो द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित है और जिनमें से दूसरा पूर्वोक्त शक्तियों में से किसी अन्य की अधिकारिता के अधीन है ; तथा
>
> (ग) ऐसे राज्यक्षेत्रों में से एक में दिया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध किए गए हैं, वैसी ही अधिसूचना द्वारा ऐसे राज्यक्षेत्र घोषित करे जिन्हें उक्त अभिसाक्ष्य लागू है,
>
> तथा यदि पंचाट की विधिमान्यता को चुनौती देने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यवाहियां उस देश में लंबित हैं, जिसमें यह दिया गया था, तो पंचाट के बारे में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि यह अंतिम है ।"

13. इसके पश्चात्, माध्यस्थम् अधिनियम, 1899 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की द्वितीय अनुसूची दोनों को निरसित करते हुए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 प्रवृत्त हुआ । धारा 1(2) के अधीन, इस अधिनियम का

विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था । इस अधिनियम के अधीन "पंचाट" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था :–

"2. परिभाषाएं –

* * * * * *

(ख) 'पंचाट' से माध्यस्थम् पंचाट अभिप्रेत है,"

इस अधिनियम में अध्याय 2 न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना माध्यस्थम् के संबंध में था । धारा 17 महत्वपूर्ण है और निम्नलिखित रूप में उपवर्णित है :–

> "17. पंचाट के अनुसार निर्णय – जहां कि न्यायालय पंचाट को या माध्यस्थम् के लिए निर्देशित विषयों में से किसी को पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने के लिए या पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई कारण न पाए, वहां न्यायालय पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करने के समय का अवसान हो जाने के पश्चात् अथवा ऐसा आवेदन किए जाने पर उसे नामंजूर करने के पश्चात्, पंचाट के अनुसार निर्णय सुनाने के लिए अग्रसर होगा और इस प्रकार सुनाए गए निर्णय के उपरांत डिक्री होगी तथा ऐसी डिक्री से कोई अपील इस आधार पर होने के सिवाय नहीं होगी कि वह पंचाट से अधिक है या अन्यथा उसके अनुसार नहीं है ।"

अध्याय 3 के अधीन, जहां कि कोई वाद लंबित न हो वहां न्यायालय के मध्यक्षेप से माध्यस्थम् का उपबंध है और अध्याय 4 में ऐसे माध्यस्थम् का उपबंध है जो वादों में किए गए निर्देशों से उद्भूत होते हैं । यह अधिनियम भी अपने पूर्ववर्ती अधिनियमों की तरह केवल उन पंचाटों पर लागू होता था जो पहले ब्रिटिश भारत में और बाद में भारत के राज्यक्षेत्र में, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, दिए गए थे ।

14. वर्ष 1961 में, 1958 के न्यूयार्क कन्वेंशन के पश्चात्, विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 न्यूयार्क कन्वेंशन के पंचाटों को मान्यता देने और प्रवर्तन करने के लिए प्रवृत्त किया गया । पुनः, इस अधिनियम की धारा 2 में ऐसे पंचाटों को "विदेशी पंचाट" के रूप में निर्दिष्ट किया गया । धारा 2 में विदेशी पंचाट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

> "2. परिभाषा – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में

अन्यथा अपेक्षित न हो, "विदेशी पंचाट" से ऐसा माध्यस्थम् पंचाट अभिप्रेत है जो व्यक्तियों के बीच उन विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हों या न हों, जिन्हें भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझा गया है, उत्पन्न होने वाले मतभेदों के बारे में है ; और 11 अक्तूबर, 1960 को या उसके पश्चात् –

(क) ऐसे माध्यस्थम् के, जिसको पहली अनुसूची में दिया गया अभिसमय लागू होता है, किसी लिखित करार के अनुसरण में किया गया है ; और

(ख) ऐसे राज्यक्षेत्रों में से किसी में किया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध किए गए हैं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा राज्यक्षेत्र घोषित करे, जिनको उक्त अभिसमय लागू होता है ।"

15. जैसा कि सुविदित है, इसके पश्चात् वर्तमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 प्रवृत्त हुआ और माध्यस्थम् (प्रोटोकाल और अभिसमय) अधिनियम, 1937, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 तथा विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 निरसित करते हुए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए । इसके भाग 1 में घरेलू पंचाटों, भाग 2 के अध्याय 1 में न्यूयार्क अभिसमय से संबंधित विदेशी पंचाटों और भाग 2 के अध्याय 2 में जिनेवा अभिसमय से संबंधित विदेशी पंचाटों के बारे में उपबंध हैं । वर्तमान अधिनियम में धारा 2(1)(ग) के अधीन "माध्यस्थम् पंचाट" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"2. परिभाषाएं – (1) इस भाम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

* * * * * *

(ग) 'माध्यस्थम् पंचाट' के अंतर्गत कोई अंतरिम पंचाट भी है,"

भाग 2 के अध्याय 1 में धारा 44 में न्यूयार्क अभिसमय पंचाट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"44. परिभाषा – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विदेशी पंचाट" से ऐसा माध्यस्थम् पंचाट अभिप्रेत है जो व्यक्तियों के बीच उन विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हों या न हों, जिन्हें भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन

वाणिज्यिक समझा गया है, उत्पन्न होने वाले मतभेदों के बारे में है ; और जो 11 अक्तूबर, 1960 को या उसके पश्चात् –

(क) ऐसे माध्यस्थम् के, जिसको पहली अनुसूची में दिया गया अभिसमय लागू होता है, किसी लिखित करार के अनुसरण में किया गया है ; और

(ख) ऐसे राज्यक्षेत्रों में से किसी में किया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार, वह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध किए गए हैं राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा राज्यक्षेत्र घोषित करे, जिनको उक्त अभिसमय लागू होता है ।"

भाग 2 के अध्याय 2 की धारा 53 में जिनेवा अभिसमय पंचाट को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"53. निर्वचन – इस अध्याय में, 'विदेशी पंचाट' से ऐसा माध्यस्थम् पंचाट अभिप्रेत है जो उन विषयों से संबंधित मतभेदों पर, जिन्हें भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाणिज्यिक समझा जाता है, 28 जुलाई, 1924 के पश्चात् –

(क) ऐसे माध्यस्थम् करार के अनुसरण में दिया गया है जिसे दूसरी अनुसूची में उपवर्णित प्रोटोकाल लागू होता है ; तथा

(ख) ऐसे व्यक्तियों के बीच दिया गया है जिनमें से एक ऐसी शक्तियों में से किसी एक की अधिकारिता के अधीन है जिनकी बाबत भारत सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध कर दिए गए हैं, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करे कि वे उस अभिसमय के पक्षकार हैं, जो तीसरी अनुसूची में उपवर्णित हैं और जिनमें से दूसरा पूर्वोक्त शक्तियों में से किसी अन्य की अधिकारिता के अधीन है ; तथा

(ग) ऐसे राज्यक्षेत्रों में से एक में दिया गया है जिन्हें भारत सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध कर दिए गए हैं, वैसी ही अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्यक्षेत्र घोषित करे जिनको उक्त अभिसमय लागू है,

और यदि पंचाट की विधिमान्यता को चुनौती देने के प्रयोजन के लिए कोई कार्यवाहियां उस देश में लंबित हैं जिसमें वह दिया गया था तो

पंचाट के बारे में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह अंतिम है ।"

अन्य महत्वपूर्ण धाराएं, जिनका हमारे समक्ष संविवाद के लिए सरोकार है, निम्नलिखित हैं :–

"46. विदेशी पंचाट कब आबद्धकर होंगे – किसी विदेशी पंचाट को, जो इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय हो, उन व्यक्तियों पर जिनके बीच यह किया गया था, सभी प्रयोजनों के लिए आबद्धकर माना जाएगा और तद्नुसार उन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति प्रतिरक्षा के रूप में, मुजराई के तौर पर या अन्यथा भारत में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में उस पर निर्भर कर सकेगा और इस अध्याय में किसी विदेशी पंचाट को प्रवृत्त करने के संबंध में किन्हीं निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत पंचाट पर निर्भर करने के प्रतिनिर्देश भी है ।

47. साक्ष्य – (1) वह पक्षकार जो किसी विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए आवेदन कर रहा है, आवेदन के समय न्यायालय के समक्ष –

(क) मूल पंचाट या उसकी प्रति, जो उस रीति से सम्यक्तः अधिप्रमाणित होगी, जो उस देश की, जिसमें उसे किया गया था, विधि द्वारा अपेक्षित है ;

(ख) माध्यस्थम् के लिए किया गया मूल करार या उसकी सम्यक्तः प्रमाणित प्रति ; और

(ग) ऐसा साक्ष्य, जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पंचाट विदेशी पंचाट है, प्रस्तुत करेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन पेश किए जाने के लिए अपेक्षित पंचाट या करार विदेशी भाषा में है, तो पंचाट का प्रवर्तन चाहने वाला पक्षकार अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद पेश करेगा जो उस देश के, जिसका कि वह निवासी है, राजनयिक या कौंसलीय अभिकर्ता द्वारा सही प्रमाणित होगा या वह ऐसी अन्य रीति से सही प्रमाणित होगा जो भारत में प्रवृत्त विधि के अनुसार पर्याप्त हो ।

स्पष्टीकरण – इस धारा में और इस अध्याय की निम्नलिखित सभी धाराओं में, 'न्यायालय' से किसी जिले में आरंभिक अधिकारिता

वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अपनी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा उच्च न्यायालय भी है जो पंचाट की विषयवस्तु होने वाले प्रश्नों का, यदि वे वाद की विषयवस्तु होते तो, विनिश्चय करने की अधिकारिता रखता, किन्तु ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई सिविल न्यायालय या कोई लघुवाद न्यायालय इसके अन्तर्गत नहीं आता है ।

* * * * * *

"49. विदेशी पंचाटों को प्रवर्तित करना – जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि विदेशी पंचाट, इस अध्याय के अधीन प्रवर्तनीय है, वहां वह पंचाट उस न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा ।"

16. इस प्रकार यह देखने में आता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 की मद 12 में "पंचाट" आज की तारीख तक अपरिवर्तित रहा है । जैसा कि हमारे द्वारा इसमें ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, वर्ष 1899 में यह "पंचाट" मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा केवल ऐसे निर्देश में, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश द्वारा न किया गया हो, लिखित में दिए गए विनिश्चय को निर्दिष्ट करता था । यह केवल ऐसे पंचाट को लागू होता था जो ब्रिटिश भारत के समय में किया गया था और 1955 के अधिनियम सं. 43 द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 1(2) के संशोधन के पश्चात् आज के समय यह जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में दिए गए पंचाटों पर लागू होता है । ऐसी वस्तुस्थिति में, हमारा यह मत है कि प्रारंभ से लेकर आज तक "पंचाट" अभिव्यक्ति में कभी भी विदेशी पंचाट सम्मिलित नहीं रहा है । परिणामतः, विदेशी पंचाट भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची में सम्मिलित किए जाने योग्य न होने के कारण स्टाम्प शुल्क के लिए दायी नहीं है । श्री विश्वनाथन् ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में तमिलनाडु के संशोधन का भी अवलंब लिया है । तमिलनाडु के संशोधन में "पंचाट" की वैसी ही परिभाषा अंतर्विष्ट है जो उसकी मद 12 में दी गई है । फर्क केवल स्टाम्प शुल्क के लिए दिए गए आंकड़ों में है । परिणामतः, इससे मामले में अधिक सहायता नहीं मिलती है ।

17. इसके पश्चात् श्री विश्वनाथन् ने **सीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर**

और अन्य बनाम **लक्ष्मीनारायण चोपड़ा और एक अन्य**[1] वाले मामले के आधार पर यह दलील दी कि अधिनियम का अर्थान्वयन, इस तथ्य के बावजूद कि पुराने अधिनियम में अंतर्विष्ट परिभाषा अक्षरशः इस प्रयोजन के लिए अनुकूल न हो, आज की तारीख पर किया जाना आवश्यक है । हमें खेद है कि यह निर्णय पूरी तरह से प्रभेदनीय है क्योंकि पूर्वोक्त मामले में भारतीय तार अधिनियम, 1885 में दी गई "टेलीग्राफ लाइन" की परिभाषा का यह अर्थ लगाया गया था कि यह बेतार टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाली बिजली की लाइनों को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त व्यापक है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आधुनिक प्रगतिशील समाज में विधान-मंडल के आशय को उस समय, जब विधि बनाई गई थी, प्रयुक्त किए गए शब्द के समझे जा सकने वाले अर्थ तक सीमित करना अयुक्तियुक्त होगा, और जब तक प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, कानून में प्रयुक्त शब्दों का निर्वचन नए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए यदि ऐसे शब्द उनको सम्मिलित करने योग्य हों । जैसा कि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, यह निर्णय पूरी तरह से प्रभेदनीय है, क्योंकि वर्ष 1899 के तथ्यात्मक परिदृश्य तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी पंचाट राजवंशी राज्यों तथा विदेशों में तब भी विद्यमान थे, बाद में उक्त निर्णय के विनिश्चयाधार को लागू करने के लिए कोई नई तथ्यात्मक स्थिति उद्भूत नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम एक राजवित्तीय कानून है जिसका अक्षरशः अर्थ लगाया जाना चाहिए । उक्त कानून में की किसी संदिग्धता से उस निर्धारिती को फायदा पहुंचेगा जिसे स्टाम्प शुल्क का संदाय करना है । ऐसी वस्तुस्थिति में, श्री विश्वनाथन् की पूर्वोक्त निर्णय पर आधारित दलील को अवश्य खारिज किया जाना चाहिए ।

18. अब, हम पक्षकारों की ओर से निर्दिष्ट किए गए कुछ निर्णयों पर विचार करते हैं । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय (उपर्युक्त) में, जिसका श्री विश्वनाथन् द्वारा जोरदार रूप से अवलंब लिया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3(ग) को निर्दिष्ट किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि अनुसूची में वर्णित लिखत, जो भारत के बाहर निष्पादित की गई है, विदेशी पंचाट होने के कारण, ऐसी बात या चीज से संबंधित होगी जो भारत में नहीं की गई है या की जाने वाली नहीं है और यह कि, इसलिए ऐसे पंचाट पर स्टाम्प शुल्क संदेय होगा । यह

---

[1] [1962] 3 एस. सी. आर. 146.

उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस निर्णय में अनुसूची-1 की मद 12 में दी गई "पंचाट" की परिभाषा को कतई निर्दिष्ट नहीं किया गया है । अकेले इसी कारण से यह निर्णय हमें अधिक आगे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि विदेशी पंचाट, जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अनुसूची-1 की मद 12 दी गई "पंचाट" अभिव्यक्ति में अंतर्विष्ट नहीं है और इसलिए ऐसी "लिखत" नहीं है जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3(ग) के अधीन कराधेय हो ।

19. प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से अवलंब लिया गया दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय (उपर्युक्त) भी हमें अधिक आगे नहीं ले जाता है । जैसा कि श्री विश्वनाथन् द्वारा ठीक ही उल्लेख किया गया है, उक्त निर्णय में 1996 के अधिनियम में अंतर्विष्ट "विदेशी पंचाट" की परिभाषा को निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु इसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लेकर यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसे विदेशी पंचाट का रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित नहीं होगा क्योंकि इसे एक डिक्री की भांति प्रवर्तित किया जा सकता है । इस निर्णय में आगे **एम. अनसुया देवी और एक अन्य** बनाम **एम. माणिक रेड्डी और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय धारा 47 और 48 के अधीन किसी विदेशी पंचाट की प्रवर्तनीयता का विनिश्चय करते समय ऐसे पंचाट को इस आधार पर अप्रवर्तनीय अभिनिर्धारित नहीं कर सकता कि वह अस्टाम्पित है । असल में, यह निर्णय भी गलत है, क्योंकि **एम. अनसुया** (उपर्युक्त) वाले मामले में एक देशी पंचाट के संदर्भ में केवल यह मत व्यक्त किया गया है कि यह प्रश्न कि पंचाट को स्टाम्पित किया जाना अपेक्षित है या नहीं, 1996 के अधिनियम की धारा 36 के अधीन केवल इसके प्रवर्तन के प्रक्रम पर सुसंगत होगा न कि चुनौती के प्रक्रम पर, जो कि 1996 के अधिनियम की धारा 34 द्वारा शासित है । हम यह नहीं भूल सकते हैं कि जहां तक विदेशी पंचाट का संबंध है, किसी चुनौती का प्रक्रम तब तक नहीं आता है – जब तक कि धारा 48 में दिए गए आधारों में से कोई आधार लागू न होता हो और पंचाट एक डिक्री के रूप प्रवर्तनीय हो जाता है । अतः, इन मामलों में प्रवर्तनीयता का प्रक्रम उद्भूत हो गया था और यह नहीं कि जा सकता है कि **एम. अनसुया** (उपर्युक्त) वाले मामले का विनिश्चयाधार लागू होगा ताकि स्टाम्प शुल्क केवल किसी पश्चात्वर्ती

[1] (2003) 8 एस. सी. सी. 565.

प्रक्रम पर संदेय बनेगा । यह निर्णय यह मत व्यक्त करने में समान रूप से गलत है कि **फ्यूरस्ट डे लॉसन लि.** बनाम **जिंदल एक्सपोर्ट लि.**[1] वाला मामला लागू होगा । **फ्यूरेस्ट डे** (उपर्युक्त) वाले मामले का एक वाक्य यह है, "एकमात्र फर्क जो पाया गया है, यह है कि विदेशी पंचाट अधिनियम के अधीन एक डिक्री की जाती है, जबकि नए अधिनियम के अधीन विदेशी पंचाट को पहले ही डिक्री समझा गया है" । **थायसेन स्टालुनियन जी. एम. बी. एच.** बनाम **स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.**[2] वाले मामले का अनुसरण करते हुए इस वाक्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि 1996 के अधिनियम के अधीन, विदेशी पंचाट पहले ही स्टाम्पित किया गया माना जाता है । कुल मिलाकर इस वाक्य का यह अर्थ है कि विदेशी पंचाट को एक डिक्री के रूप में समझा जाएगा । "स्टाम्पित" अभिव्यक्ति से "समझा जाएगा" अभिप्रेत है । यह निर्णय भी हमें अधिक आगे नहीं ले जाता है ।

20. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय (उपर्युक्त) सही स्थिति के काफी निकट है । इस निर्णय के पैरा 12 में निम्नलिखित शब्दों में यह उल्लेख किया गया है कि विदेशी पंचाटों पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा :–

> "12. भारत में माध्यस्थम् संबंधी विधि सारभूत रूप से तीन अधिनियमितियों अर्थात् माध्यस्थम् विधि, 1940, माध्यस्थम् (प्रोटोकाल और अभिसमय) अधिनियम, 1937 और विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 में अंतर्विष्ट थी । व्यापक स्तर पर यह अनुभव किया गया कि 1940 का अधिनियम, जिसमें माध्यस्थम् की साधारण विधि अंतर्विष्ट है, पुराना हो गया है । माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 देशी माध्यस्थम्, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए तथा सुलह से संबंधित विधि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (संक्षेप में अनसिट्राल) की मॉडल विधि और नियमों को परिभाषित करने के लिए प्रवृत्त किया गया । अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त, अधिनियम का एक उद्देश्य यह उपबंध करना है कि प्रत्येक अंतिम माध्यस्थम् पंचाट उसी रीति में प्रवर्तित होगा मानो यह न्यायालय की डिक्री है । जब माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 प्रवर्तित किया गया था, तब भारतीय स्टाम्प

---

[1] (2001) 6 एस. सी. सी. 356.

[2] (1999) 9 एस. सी. सी. 334.

अधिनियम में दी गई पंचाट की परिभाषा में कोई संशोधन नहीं किया गया था । इसी प्रकार, इसकी अनुसूची, जिसमें पंचाट पर संदेय स्टाम्प शुल्क अधिकथित है, को इसमें विदेशी पंचाट को सम्मिलित करके संशोधित नहीं किया गया था । यह प्रतीत होता है कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को प्रवर्तित करते हुए विधि निर्माताओं का यह दृष्टिकोण था कि विदेशी पंचाट ऐसे प्रवर्तनीय होगा मानो यह न्यायालय की डिक्री है, इसलिए न तो पंचाट की परिभाषा में और न ही पंचाट पर स्टाम्प शुल्क के संदाय से संबंधित अनुसूची में कोई संशोधन लाया गया । चूंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि सं. 11 में दी गई पंचाट की परिभाषा के अंतर्गत विदेशी पंचाट नहीं आता है और नए अधिनियम को प्रवर्तित करने के उद्देश्यों में से एक अंतिम पंचाट को इस प्रकार प्रवर्तित करना था मानो यह न्यायालय की डिक्री है तथा **फ्यूरस्ट डे लॉसन** (उपर्युक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि को ध्यान में रखते हुए, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नए अधिनियम के अधीन विदेशी पंचाट को पहले ही डिक्री के रूप में समझा गया है, इस न्यायालय का यह मत है कि याची द्वारा फाइल की गई याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और खारिज की जानी चाहिए । इस बात को ध्यान में रखते हुए, याची द्वारा फाइल की गई याचिका का यह अभिनिर्धारित करते हुए निपटारा किया जाता है कि विदेशी पंचाट को पहले ही डिक्री समझा गया है और डिक्री के रूप में प्रवर्तनीय है ।'

21. हम पैरा 12 में अंतर्विष्ट तर्काधार का, इसमें **फ्यूरस्ट डे लॉसन** (उपर्युक्त) वाले मामले का अनुसरण करने वाले भाग में अंतर्विष्ट तर्काधार के सिवाय, अनुमोदन करते हैं जिससे, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यह उपदर्शित नहीं होता है कि विदेशी पंचाटों पर कभी स्टाम्प शुल्क लग सका हो ।

22. श्री विश्वनाथन् द्वारा अवलंब लिए गए अन्य निर्णय अर्थात् गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय (उपर्युक्त) में यह उल्लेख करने के लिए मात्र न्यूयार्क अभिसमय के अनुच्छेद 3 को निर्दिष्ट किया गया है कि जहां तक विदेशी पंचाटों से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं का संबंध है, हमें सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुसरण करना चाहिए और सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुसरण करते हुए भावनगर स्थित न्यायालय को उस मामले के तथ्यों में विदेशी पंचाट को प्रवर्तित करने की अधिकारिता नहीं है । चूंकि

श्री विश्वनाथन् द्वारा न्यूयार्क अभिसमय का जोरदार रूप से अवलंब लिया गया है, इसलिए इसे उपवर्णित करने की आवश्यकता है । इसमें यह उल्लिखित है :–

"अनुच्छेद 3

प्रत्येक संविदाकारी राज्य माध्यस्थम् पंचाटों को आबद्धकर रूप में मान्यता देगा और उन्हें उस राज्यक्षेत्र के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार प्रवर्तित करेगा, जहां निम्नलिखित अनुच्छेदों में अधिकथित शर्तों के अधीन पंचाट का अवलंब लिया गया है । ऐसे माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता या प्रवर्तन पर, जिन पर यह अभिसयम लागू होता है, सारभूत रूप से उससे अधिक दुर्भर शर्तें या उच्चतर फीस या प्रभार अधिरोपित नहीं किए जाएंगे जो देशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता या प्रवर्तन पर अधिरोपित किए जाते हैं ।"

23. किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि यदि भारत में विदेशी पंचाटों पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत किए जाते हैं तो यह अधिरोपण उस स्टाम्प शुल्क की अपेक्षा सारभूत रूप से अधिक दूर्भर नहीं होना चाहिए जो कि देशी माध्यस्थम् पंचाटों की मान्यता या प्रवर्तन पर अधिरोपित किया जाता है । उक्त अनुच्छेद को लागू करने के लिए, पहले तो विदेशी पंचाट पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करना होगा और जैसा कि हमने इस निर्णय में पहले ही अभिनिर्धारित किया है, मामला यह नहीं है । समान रूप से, जहां तक देशी पंचाटों पर स्टाम्प शुल्क का संबंध है, भारत के विधि आयोग की 194वीं रिपोर्ट का जो अवलंब लिया गया है उसका हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कम ही सरोकार है कि विधि की वर्तमान स्थिति के अधीन विदेशी पंचाट भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी नहीं है ।

24. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 47 में तीन चीजों की अपेक्षा की गई है और किसी विदेशी पंचाट के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के समक्ष केवल तीन चीजें प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसलिए इन अपेक्षित तीन चीजों में एक स्टाम्प शुल्क न होने के कारण इसे कभी भी उद्गृहीत नहीं किया जा सकता है । हमें खेद है कि यह तर्क भी बिल्कुल प्रतिकूल है । धारा 47 में जो कुछ उपबंधित है वह न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का सबूत प्रस्तुत करना है कि विदेशी पंचाट प्रवर्तित किया जाना ईप्सित है । धारा 47 में

किसी भी प्रकार से स्टाम्प शुल्क के संदाय को, यदि यह अन्यथा विधि में संदेय है, प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है । इसलिए, इस तर्क को अवश्य ही नामंजूर किया जाना चाहिए । समान रूप से, इस तर्क को भी अवश्य ही नामंजूर किया जाना चाहिए कि धारा 48(2)(ख) के अधीन यदि विदेशी पंचाट पर स्टाम्प शुल्क संदेह होता है, तो यह भारत की लोक नीति के विरुद्ध नहीं होगा । जैसा कि **रेणुसागर पावर कंपनी लि.** बनाम **जनरल इलेक्ट्रिक कं.**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है और जिसका **एसोसिएट बिल्डर्स** बनाम **दिल्ली विकास प्राधिकरण**[2] वाले मामले में अनुसरण किया गया है, भारतीय विधि की मूलभूत नीति से यह स्पष्ट होता है कि जहां तक देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 जैसे कानून का संबंध है, यह निश्चित तौर पर "भारतीय विधि की मूलभूत नीति" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा । भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 लिखतों पर स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने के लिए एक राजकोषीय कानून होने के कारण एक ऐसा अधिनियम है जो भारत की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है और तार्किकता की समानता के आधार पर एक ऐसा अधिनियम है जिससे भारतीय विधि की मूलभूत नीति प्रतिबिम्बित होती है । इसलिए प्रत्यर्थी की ओर से दिया गया यह तर्क भी अवश्य खारिज किया जाना चाहिए ।

25. अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय सही है और वास्तविकता यह है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विदेशी पंचाट पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया है इसलिए हमारे निर्णय में दिए गए कारणों से यह अप्रवर्तनीय नहीं हो जाता है । तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] (1994) (सप्ली.) 1 एस. सी. सी. 644.

[2] (2015) 3 एस. सी. सी. 49.